प्रेस विज्ञप्ति
27-05-2026

1. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि जोन ने 27.05.2026 को मेसर्स कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल), इसके निदेशकों श्री एस. एन. शशिधरन कार्था, श्री सरन एस. कार्था, श्रीमती वीणा (श्री पी. विजयन, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की पुत्री) और उनकी कंपनी मेसर्स एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी कोट्टायम, एर्नाकुलम, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में स्थित 10 परिसरों में की गई।

2. सीएमआरएल एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसमें 48.75% शेयर आम जनता के पास और 13.41% शेयर केरल राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेसर्स केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सी.एस.) के पास हैं (31.03.2023 तक)।

3. जनवरी 2019 में आयकर विभाग द्वारा सीएमआरएल की तलाशी ली गई, जिसके दौरान लगभग 130 करोड़ रुपये के फर्जी खर्चों का पता चला। सीएमआरएल ने आयकर निपटान आयोग (आईटीएससी) के समक्ष इन फर्जी खर्चों को स्वीकार किया। आईटीएससी ने अपने आदेश में सीएमआरएल द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को दी गई रिश्वत और सीएमआरएल कर्मियों द्वारा स्वीकार की गई बातों को प्रमाणित किया है। आयकर विभाग की जांच के निष्कर्षों के आधार पर गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एसएफआईओ को जांच का निर्देश दिया। तदनुसार, एसएफआईओ ने जांच शुरू की। एसएफआईओ द्वारा शुरू की गई जांच के आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। हालांकि, सीएमआरएल ने केरल उच्च न्यायालय में इसे इस आधार पर चुनौती दी कि कोई आधारभूत अपराध नहीं था और न्यायालय ने 12-04-2024 को इस मामले में ईडी द्वारा 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' का आदेश जारी किया था।

4. एसएफआईओ ने 3 अप्रैल 2025 को श्री शशिधरन कार्था और 12 अन्य के खिलाफ कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के लिए माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय - सातवीं, एर्नाकुलम, केरल में अभियोजन शिकायत दायर की। एसएफआईओ के अभियोग में पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध शामिल हैं। एसएफआईओ के अनुसार, प्रबंध निदेशक श्री एस. एन. शशिधरन कार्था और उनके पुत्र श्री सरन एस. कार्था ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक लाभांश भुगतान न होने के बावजूद संचयी पारिश्रमिक के रूप में 30.63 करोड़ रुपये प्राप्त किए। एसएफआईओ की जांच में यह भी पता चला कि 15 वर्षों की अवधि में 182 करोड़ रुपये के काल्पनिक नकद व्यय [जिनका उपयोग विभिन्न व्यक्तियों को रिश्वत देने के लिए किया गया था] किए गए थे। यह भी आरोप लगाया गया कि सीएमआरएल ने श्री शशिधरन कार्था परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों को परिवहन सेवाओं के लिए 91 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

5. सीएमआरएल द्वारा दर्ज किए गए फर्जी खर्चों में से एक केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पी. विजयन की पुत्री श्रीमती वीना को किए गए भुगतान से संबंधित है। श्रीमती वीना की कंपनी, मेसर्स एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एकल-व्यक्ति कंपनी), ने आईटी कंसल्टेंसी सेवाओं के बहाने सीएमआरएल से धोखाधड़ी से 2.78 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त किया। इसके अलावा, सीएमआरएल के प्रबंध निदेशक श्री शशिधरन कार्था द्वारा संचालित मेसर्स एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ईआईसीपीएल) ने एक्सालॉजिक को 50 लाख रुपये का ऋण दिया, जबकि एक्सालॉजिक समय पर भुगतान करने में विफल रही।

6. केरल उच्च न्यायालय ने 26-05-2026 को सीएमआरएल द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने माना कि पीएमएलए के तहत जांच शुरू करना वैध है और इसके लिए आधारभूत अपराध की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि निर्णय की तारीख तक आधारभूत अपराध मौजूद था क्योंकि एसएफआईओ ने पीएमएलए के अनुसूचित अपराध के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

7. ईडी द्वारा पहले की गई जांचों से पता चला कि अपराध से प्राप्त धन श्री एस. एन. शशिधरन कार्था के नेतृत्व वाले सीएमआरएल प्रबंधन द्वारा अर्जित किया गया था और विभिन्न व्यक्तियों को रिश्वत दी गई थी। श्रीमती वीना ने बिना कोई सेवा दिए सीएमआरएल से धन प्राप्त किया है। ईडी द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि श्रीमती

वीना अपने पिता श्री पी. विजयन (केरल के पूर्व मुख्यमंत्री) के साथ तिरुवनंतपुरम में रह रही थीं। तदनुसार, उनके निवास स्थान को घेर लिया गया। जब तलाशी दल श्रीमती वीना के निवास स्थान पर पहुंचा, तो उनके पिता श्री पी. विजयन (केरल के पूर्व मुख्यमंत्री) भी वहां मौजूद थे।

8. तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड/खाते, डिजिटल साक्ष्य, निवेश/बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट बरामद हुए। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान पहचाने गए लगभग 242 खातों में लगभग 18.36 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। बरामद साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है।

9. तिरुवनंतपुरम स्थित श्रीमती वीना और श्री पी. विजयन के परिसर में तलाशी अभियान समाप्त होने के बाद, ईडी की एक तलाशी टीम पर कुछ लोगों के समूह ने हमला कर दिया। भीड़ ने बिना किसी उकसावे के ईंटों और लोहे की छड़ों से ईडी टीम की गाड़ियों पर हमला किया। इससे पता चलता है कि कुछ लोगों ने मिलकर इस हमले की साजिश रची थी और यह कोई अचानक हुई प्रतिक्रिया नहीं थी। ईडी की तलाशी टीम और सीआरपीएफ कर्मियों की तीन गाड़ियों पर हमला किया गया और उनमें तोड़फोड़ की गई। हमले के दौरान एक गाड़ी के ड्राइवर की आंख में चोट आई। ईडी ने उचित प्रक्रिया का पालन किया और न तो भीड़ का विरोध किया और न ही सीआरपीएफ कर्मियों ने भीड़ पर कोई आक्रामकता दिखाई। ईडी ने हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए त्रिवेंद्रम पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।

10. ईडी उन अन्य व्यक्तियों के संबंध में जांच जारी रखेगी जिन्हें सीआरएमएल द्वारा रिश्वत/धन दिया गया था, ताकि अपराध की आय की पहचान की जा सके।